

प्रमाण पत्र ।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित राजकीय इण्टर कालेज चौण्डी से विरसण सेरा तक मोटर मार्ग निर्माण में मोटर मार्ग के सम्पूर्ण संरेखण में किसी भी प्रकार से आरक्षित वन भूमि में निर्माण कार्य नहीं किया गया है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मोटर मार्ग निर्माण का कार्य वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जायेगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।


(प्रकाश सिंह कौसरी)
वरिष्ठ
सिनिअर


(देवेन्द्र सिंह शर्मा)
जुनियर


जन कर्माधिकारी
नायनाथ कौसरी
दारनाथ


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पोखरी (वमोली)


प्रभागी वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (वमोली)